# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

## ई-न्यूजलेटर

## अप्रैल 2024

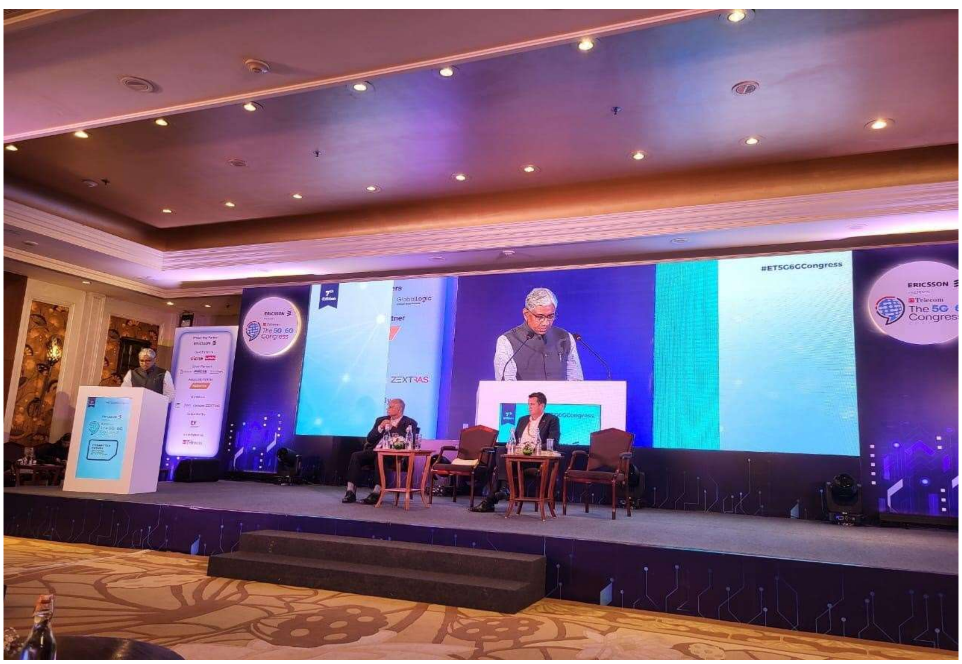

ईटी टेलीकॉम द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2024 को आयोजित 5जी/6जी कांग्रेस में भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण देते हुए।

# अनुशंसा

**भादूविप्रा ने दिनांक 21 मार्च, 2024 को 'मशीन-टू-मशीन (एम2एम) संचार के लिए एंबेडेड सिम के उपयोग' विषय पर अपनी अनुशंसाएँ जारी कीं।**

दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 09.11.2021 के अपने पत्र के माध्यम से एम2एम संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अंतर्गत भादूविप्रा की अनुशंसाएं मांगीं। इस संबंध में, **'एम2एम संचार के लिए एंबेडेड सिम'** विषय पर दिनांक 25.07.2022 को एक परामर्श पत्र को जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से इस विषय पर टिप्पणियां मांगी गई थीं। 15 हितधारकों ने इसके जवाब में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। उक्त परामर्श पत्र पर एक खुली चर्चा दिनांक 14.12.2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई।

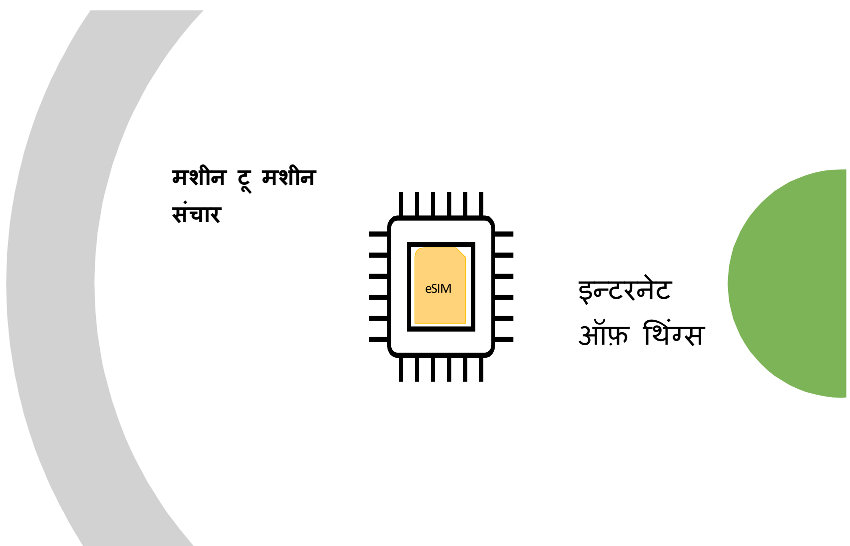


हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट, इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने दिनांक **21 मार्च, 2024** को 'मशीन-टू-मशीन (एम**2**एम) संचार के लिए एंबेडेड सिम के उपयोग' पर अपनी अनुशंसाएं जारी की हैं। जारी की गई प्रमुख अनुशंसाएँ इस प्रकार हैं:

- भारत में अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पर एक आयातित डिवाइस में लगे किसी भी एम**2**एम ईएसआईएम पर सभी संचार प्रोफाइल को ऐसे एम2एम ईएसआईएम पर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के सक्रियण होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या डिवाइस के स्वामित्व में परिवर्तन पर, जो भी पहले हो, भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के संचार प्रोफाइल में अनिवार्य रूप से परिवर्तित/पुन: कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए।
- एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस धारक, एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवा प्राधिकरण) धारक, एकीकृत लाइसेंस (मशीन-टू-मशीन प्राधिकरण) धारक, वीएनओ (एक्सेस सेवा प्राधिकरण) धारक के लिए एकीकृत लाइसेंस, वीएनओ (मशीन से मशीन प्राधिकरण) धारक के लिए एकीकृत लाइसेंस और भारत में सब्सक्रिप्शन

मैनेजर-सिक्योर रूटिंग (एसएम-एसआर) के स्वामित्व और प्रबंधन की विशिष्ट अनुमति के साथ एम2एम सेवा प्रदाता (एम2एमएसपी) पंजीकरण रखने वाली कंपनियों को देश में एसएम-एसआर के स्वामित्व और प्रबंधन की अनुमति दी जानी चाहिए।

•

विस्तृत अनुशंसाएँ निम्नलिखित लिंक या क्यूआर कोड से प्राप्त की जा सकती हैं।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_21032024.pdf

# विनियमन

**भादूविप्रा ने दिनांक 14 मार्च 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किया।**

भादूविप्रा द्वारा जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) ने देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए एक विनियामक ढांचा निर्धारित किया।

हाल के दिनों में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा को अपने विभिन्न संचारों के माध्यम से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए विनियामक ढांचे के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा सुझाए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने हितधारकों के साथ परामर्श हेतु दिनांक 27.09.2023 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया। मसौदा संशोधन विनियमों में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से दिनांक 25.10.2023 तक लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

इसके बाद, उद्योग संघ और अन्य हितधारकों के अनुरोध पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 08.11.2023 तक बढ़ा दी गई थी। इसके जवाब में हितधारकों से 13 टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 22.02.2024 को हितधारकों के साथ एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) बुलाई गई थी।

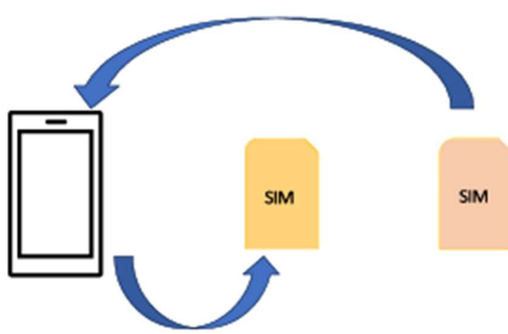

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने दिनांक 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नवीन संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए हैं। इस संशोधन के माध्यम से, यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड पेश किया गया। संशोधन के कार्यान्वयन के बाद, यदि यूपीसी के लिए अनुरोध मोबाइल नंबर के सिम स्वैप या प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले किया गया है, तो यूपीसी आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इस कदम का उद्देश्य बेईमान तत्वों द्वारा धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप या प्रतिस्थापन माध्यम से मोबाइल नंबर पोर्ट करने की प्रथा पर अंकुश लगाना है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_14032024.pdf

## खुला मंच चर्चा

**(1) दिनांक 8 मार्च 2024 को "टेरा हर्ट्ज़ रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग सृजन हेतु अप्रयुक्त या सीमित प्रयुक्त स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और डी-लाइसेंसीकृत उपयोग" विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।**

भादूविप्रा ने दिनांक 8 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "टेरा हर्ट्ज़ रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग सृजन के लिए अप्रयुक्त या सीमित प्रयुक्त स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और डी-लाइसेंसीकृत उपयोग" विषय पर जारी परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की।

**(2) दिनांक 18 मार्च 2024 को "डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यावसायिक मॉडल को प्रोत्साहित करना" विषय पर जारी परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।**

दिनांक 19.06.2023 को "डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन

प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और बिजनेस मॉडल को प्रोत्साहित करना" विषय पर जारी परामर्श पत्र के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 18 मार्च 2024 को एक और खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई थी। इस खुला मंच चर्चा (ओएचडी) में लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**(3) दिनांक 19 मार्च 2024 को पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों की समीक्षा पर जारी परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी)आयोजित की गई।**

पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस के नियमों और शर्तों की समीक्षा पर परामर्श पत्र पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 19 मार्च, 2024 को वर्चुअल मोड के माध्यम से ओएचडी आयोजित किया गया था। श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष (ट्राई) ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ सभा को संबोधित किया और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की।

# कार्यशाला

**(1) भादूविप्रा ने दिनांक 21 मार्च 2024 को तिरुवनंतपुरम में उपभोक्ता संगठनों (सीओ) के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया।**

दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के संयुक्त सलाहकार श्री चंद्र चूडन ने सभा का स्वागत किया और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। श्री ब्रजेंद्र कुमार, सलाहकार, क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) बेंगलुरु ने अपने मुख्य भाषण में बताया कि भादूविप्रा, टीएसपी और सीओ का दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की सेवा करने हेतु तीनों का लक्ष्य एक समान है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उन सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

सीओ द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान उनके द्वारा की गई उपभोक्ता केंद्रित गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतियाँ दी गईं। इसके बाद टीएसपी द्वारा शिकायत प्रबंधन तंत्र, सीईडब्ल्यू और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए अन्य उपायों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई।

भादूविप्रा मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली के उप सलाहकार (सीए) श्री आलोक वोहरा ने टीसीईपीएफ की ओर से अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित गतिविधियों पर अपनी एक प्रस्तुति दी। उन्होंने यह भी कहा कि दूरसंचार उपभोक्ता पुस्तिका में संशोधन किया जा रहा है और एक बार इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद, इसकी प्रतियां स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी।

कार्यशाला में प्रतिभागियों के लाभ के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ श्री बिजुमोन, पुलिस अधीक्षक, तिरुवनंतपुरम द्वारा साइबर धोखाधड़ी और अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों और ऐसी धोखाधड़ी का शिकार न होने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के विषय पर एक विशेष सत्र था। इस सत्र समाप्ति के

बाद प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया।

**(2) भादूविप्रा द्वारा दिनांक 27 मार्च 2024 को तिरूपति (आंध्र प्रदेश) में क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।**

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के उपभोक्ता संगठनों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

इस कार्यशाला की शुरुआत क्षेत्रीय कार्यालय,हैदराबाद के सलाहकार श्री बी. प्रवीण कुमार के दीप प्रज्ज्वलन और स्वागत भाषण के साथ हुई। उन्होंने अपने मुख्य भाषण के दौरान, उन्होंने सीओ के लिए भादूविप्रा द्वारा की गई पहल के बारे में जानकारी दी। श्री एस. एम. के. चंद्रा, संयुक्त सलाहकार ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया, पंजीकरण के नवीनीकरण, सीओ के लिए मौजूदा वित्तीय सहायता, सीओ दावे प्रस्तुत करने के चैनल आदि के बारे में बताया।

श्री यशेंद्र कुमार बंसोड़, आईटीएस, निदेशक (सुरक्षा), एपी एलएसए, हैदराबाद, साइबर विशेषज्ञ, ने डिजिटल धोखाधड़ी के बारे में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि जब हैकर और धोखेबाज इंटरनेट का उपयोग पीड़ितों को धोखा देने/उनकी जानकारी (पहचान की चोरी, बैंक खाता विवरण, उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड, मोबाइल नंबर इत्यादि) चुराने के लिए करते हैं। सीडीएसी के श्री जगदेश ने मौजूदा साइबर खतरों और निवारक उपायों के बारे में बताया। टीएसपी और सीओ ने क्षेत्र में अपनी उपभोक्ता केंद्रित गतिविधियों को प्रस्तुत किया।

**3. ट्राई ने 28 मार्च 2024 को राजस्थान के माउंट आबू में क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया**

पश्चिमी क्षेत्र के उपभोक्ता संगठनों और टीएसपी के प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। उक्त कार्यशाला की शुरुआत भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) जयपुर के संयुक्त सलाहकार, श्री एस.एस. चांडक द्वारा दीप प्रज्ज्वलन और स्वागत भाषण के साथ की गई।

श्री महेंद्र श्रीवास्तव, प्रधान सलाहकार (सीए, क्यूओएस और आईटी) भादूविप्रा ने अपने मुख्य भाषण के दौरान सीओ के लिए भादूविप्रा द्वारा की गई पहल के बारे में जानकारी दी और सीओ से अनुरोध किया कि वे अपनी चिंताओं/सुझावों को उठाएं ताकि सीओ के लिए दिशानिर्देशों में इसे शामिल किया जा सके। श्री आलोक वोहरा, उप सलाहकार ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया, पंजीकरण के नवीनीकरण, सीओ के लिए मौजूदा वित्तीय सहायता, सीओ दावे प्रस्तुत करने के चैनल आदि के बारे में बताया।

बीएसएनएल, आरजेआईएल, बीएएल और वीआईएल के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ताओं के लिए उनके द्वारा की गई पहल और उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, पिछली तिमाही के दौरान उनके द्वारा प्राप्त शिकायतें और उसके बाद के निपटान, अपीलीय प्राधिकारी संपर्क विवरण, बैठक के दौरान उनके द्वारा आयोजित सीईडब्ल्यू की संख्या आदि पर प्रस्तुतियां दी गई।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ श्री मिलिंद अग्रवाल ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से साइबर हमलों के बढ़ते खतरे, उपभोक्ताओं द्वारा उठाए जाने वाले निवारक उपायों और ऐसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट कहां करें, इसके बारे में जानकारी दी।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के संयुक्त सलाहकार श्री राम राज मीना के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

**कार्यशाला की कुछ झलकियाँ:**

# कार्यक्रम

**भादूविप्रा ने होटल शांगरी-ला, नई दिल्ली में दिनांक 4 से 8 मार्च, 2024 तक क्षमता निर्माण और नीति, विनियमन और विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर आसियान के लिए पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की।**

दिनांक 4 से 8 मार्च, 2024 तक आयोजित क्षमता निर्माण और नीति, विनियमन और विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर आसियान के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य वास्तविक अनुभवों को साझा करना और मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों के समाधान के लिए संभावित समाधानों पर विचार-मंथन करना और साथ ही नीति, विनियमन और विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। उपरोक्त कार्यशाला में 8 आसियान सदस्य देशों के 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें प्रतिनिधित्व करने वाले देश लाओ पीडीआर (2), थाईलैंड (1), कंबोडिया (2), म्यांमार (2), इंडोनेशिया (2), फिलीपींस (2), मलेशिया (2) और ब्रुनेई दारुस्सलाम (2) थे। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अलावा, दूरसंचार विभाग, भारत और भादूविप्रा के 19 घरेलू प्रतिभागियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया

**दिनांक 8 मार्च 2024 को भादूविप्रा मुख्यालय कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।**

**श्री जूलियन गोर्मन, एशिया प्रशांत प्रमुख, जीएसएमए ने दिनांक 12 मार्च 2024 को भादूविप्रा, नई दिल्ली में भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी से मुलाकात की और विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।**

# दूरसंचार सब्सक्रिप्शन

**दिनांक 29 फरवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा:**

| विवरण | वायरलेस | वायरलाइन | कुल |
|---|---|---|---|
| शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन) | 636.11 | 30.29 | 666.40 |
| ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन) | 528.53 | 2.81 | 531.35 |
| कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन) | **1164.64** | **33.10** | **1197.75** |
| समग्र दूरसंचार-घनत्व(%) | 83.27 | 2.37 | 85.64 |
| शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%) | 54.62 | 91.50 | 55.64 |
| ग्रामीण सब्सक्राइबर्स का हिस्सा (%) | 45.38 | 8.50 | 44.36 |
| ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या (मिलियन) | 877.31 | 39.46 | 916.77 |

फरवरी 2024 में पीक वीएलआर की तारीख पर सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबर 1052.08 मिलियन थे।

फरवरी 2024 में, 11.54 मिलियन सब्सक्राइबरों द्वारा एमएनपी के लिए अनुरोध किए गए थे। इसके कार्यान्वयन के बाद से फरवरी 2024 के अंत तक कुल 951.09 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया।

# उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

भादूविप्रा ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (एससीओपी)/उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का संचालन निम्नानुसार किया:

| क्र. सं. | स्थान | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | चेंगलपट्टू (तमिलनाडु) | 28 मार्च 2024 |
| 2 | खासाकैंट (पंजाब) | 22 मार्च 2024 |
| 3 | कटक (ओडिशा) | 21 मार्च 2024 |
| 4 | माजुली (असम) | 21 मार्च 2024 |
| 5 | करौली(राजस्थान) | 21 मार्च 2024 |
| 6 | मथुरा(उत्तरप्रदेश) | 15 मार्च 2024 |
| 7 | बीदर (कर्नाटक) | 13 मार्च 2024 |
| 8 | फ़रीदाबाद (हरियाणा) | 11 मार्च 2024 |
| 9 | रूड़की (उत्तराखंड) | 7 मार्च 2024 |
| 10 | डूंगरपुर (राजस्थान) | 7 मार्च 2024 |
| 11 | कोहिमा (नागालैंड) | 6 मार्च 2024 |
| 12 | विदिशा (मध्यप्रदेश) | 6 मार्च 2024 |
| 13 | ऋषिकेश (उत्तराखंड) | 5 मार्च 2024 |

# फोटो गैलरी

**क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा दिनांक 28 मार्च 2024 को चेंगलपट्टू (तमिलनाडु) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

**क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 22 मार्च 2024 को खासा कैंट (पंजाब) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

**क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा दिनांक 21 मार्च 2024 को कटक (ओडिशा) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

**क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा दिनांक 21** मार्च **2024 को माजुली** (असम) में
**उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

**क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा दिनांक 21 मार्च 2024 को करौली (राजस्थान) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

**क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 15 मार्च 24 को मथुरा (उत्तर प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

**क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली द्वारा दिनांक 11 मार्च 2024 को फ़रीदाबाद (हरियाणा) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

**क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 07 मार्च 2024 को रूड़की (उत्तराखंड) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

**क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा दिनांक 07 मार्च 2024 को डूंगरपुर (राजस्थान) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

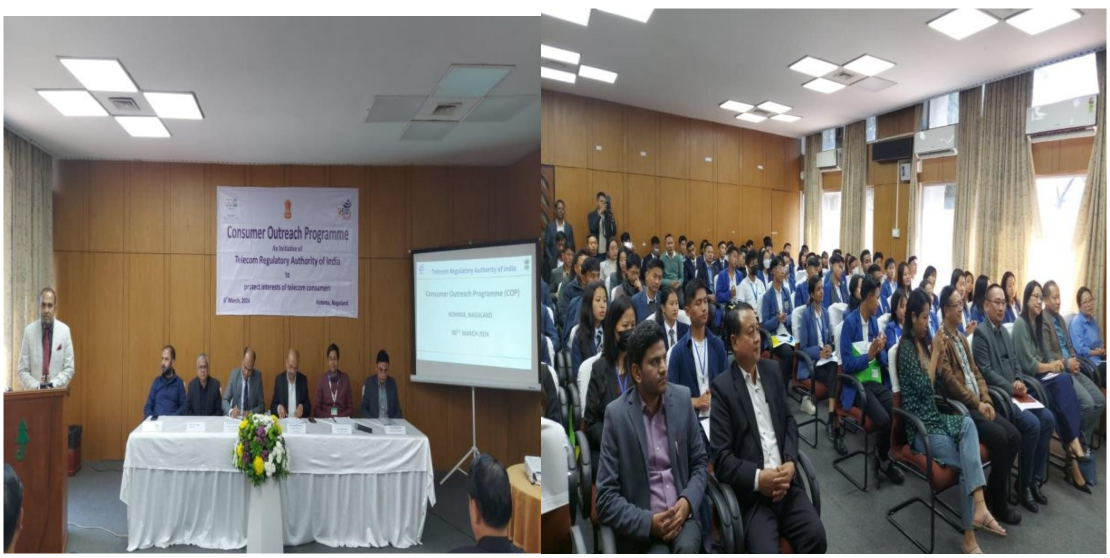


**क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा दिनांक 06 मार्च 2024 को कोहिमा (नागालैंड) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

**क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 06 मार्च 2024 को विदिशा (मध्य प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

**क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा 05 मार्च 2024 को ऋषिकेश (उत्तराखंड) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

*न्यूज़लेटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सदस्यता डेटा आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।*

*महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली-110002*

*हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं! हमसे https://www.facebook.com/TRAI/ पर जुड़ें!*

*हम ट्विटर पर भी हैं! हमें TRAI@TRAI पर फॉलो करें*